the public sector undertakings in December, 1993. Of the 203 operational public sector enterprises, 109 have set up shop/plant level participative fora. Another 48 enterprises have implemented modified versions of the Scheme. The Scheme has also been introduced in a number of undertakings belonging to the State Governments.

Golden-Handshake Scheme for Central Government Employees

1291. DR. SUBRAMANIAN SWAMY: MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to offer 'golden handshake' Scheme to Central Government employees of various ministries and departments;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have circulated the proposal to various ministries/for opinion/reaction; and

(d) if so, what is the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (d) At present, there is no proposal under consideration to offer a 'golden handshake' scheme to Central Government employees.

रोजगार के अवसर

1292. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**

श्रीमती सुषमा स्वराज क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु क्षेत्र और अति लघु क्षेत्र में रोजगार के 24.5 लाख अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए 14.333 करोड़ रुपये के निवेश से एक महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-बद्ध योजना तैयार की है, और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष कितने युवकों को रोजगार प्रदान किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के दौरान लघु तथा अति लघु क्षेत्रों में 24.5 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के आंकड़ों का अनुमान 14333 करोड़ रुपये के अतरिक्त निवेश तथा उत्पादन मान दंडों पर आधारित है ।

(घ) अनंतिम रूप से अनुमानित 24.5 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसरों में युवाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

कर्मकारों को मुआवजा

1293. **श्री चतुरानन मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अप्रैल, 1992 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में "उंगलियां कटने से रोटी के लिए मोहताज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारखाने में काम करते समय जिन कर्मकारों की उंगलियां कट गई थीं, उनके उपचार और उन्हें मुआवजा दिलवाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) जी. हां ।

(ख) और (ग) मैसर्स राजबीर प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, करावल नगर, दिल्ली के एक कर्मचारी श्री राधेश्याम मिश्रा के साथ 31-1-1992

को एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उनके दाहिने हाथ की चार अंगुलियां कट गयी । श्री मिश्रा, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय में अपना उपचार करा रहे हैं । कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिये भी उनका मामला स्वीकार किया गया है। तथापि, उनकी ओर से औपचारिक दावा प्राप्त होने के पश्चात ही प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा ।

निर्धारित मजदूरी का भुगतान न करने के लिए नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही

1294. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो गत दो वर्षों के दौरान उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कितने नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान न करने के मामले में नियोजकों को जेल भेजने पर विचार कर रही है, और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

1295. [*Transferred the 12th May 1992*].

Monetary Benefits to Government Employees on Superannuation and Voluntary Retirement

@ 1296. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether some norms for provision of monetary benefits to Government employees on superannuation have been laid down ;

(b) if so, what are the details thereof ;

(c) whether some norms for calculation of these monetary benefits have also been laid down ;

(d) whether these norms are also applicable in cases of Government employees seeking voluntary retirement; and

(e) if so, what are the details of monetary benefits being provided in such cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (e) The position with regard to Central Government civilian employees, governed by CCS (Pension) Rules, 1972 and the corresponding rules applicable to railway employees and officers of All India Services is as follows :—

The pension is determined on the basis of the pension formula, length of qualifying service and average emoluments. The maximum reckonable qualifying service is 33 years. The average to the emoluments determined with reference to the emoluments drawn by the Government servant concerned during the last ten months of his qualifying service. An employee with the qualifying service of 33 years or more is entitled to 50% of the average emoluments as pension subject to a maximum of Rs. 4,500 p.m. Where the qualifying service is more than ten years but less than 33 years, the pension is reduced pro-rata subject to a minimum of Rs. 375.

Retirement gratuity is calculated at the rate of 1/4th of the emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16.5 times of emoluments not exceeding Rs. 1 lakh.

The pensioners are also entitled to commute a portion of their pension not exceeding 1/3rd for a lumpsum value. This lumpsum amount it worked out with deference to table of values prescribed under relevant commutation rules.

Apart from the above mentioned pensionery benefits the retiring employees are

@Previously unstarred question 152, transferred from the 28th April, 1992.